

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./92-11/अलेसे-1/ 10947-950 दिनांक:- 23-12-2015  
कार्यालय आदेश संख्या .....163.../2015-16

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती बैच 1988 एवं 1992 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा वर्तमान में जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत हैं जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, (9300-34800) एवं ग्रेड-पे 4200 एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2003 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड-पे रु 4800/- स्वीकृत किया जाता है।

| क.स | नाम सहा.<br>लेखाधिकारी<br>ग्रेड-1<br>(सर्वश्री) | क.ले. मैरिट<br>संख्या/बैच | लिंक<br>न. | जन्म तिथि  | क.ले. पद<br>पर कार्यग्रहण<br>तिथि | द्वितीय<br>एसीपी<br>स्वीकृति<br>दिनांक |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                               | 3                         | 4          | 5          | 6                                 | 7                                      |
| 1   | मदन लाल<br>वर्मा                                | 525/88                    | 5071       | 30.06.1967 | 02.05.1990                        | 02.05.2008                             |
| 2   | झूथालाल<br>मीणा                                 | 163/92 स्पे.              | 3098       | 07.07.1966 | 03.04.1995                        | 03.04.2013                             |

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त तालिका में अंकित सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 3600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

  
(भास्कर शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./92 11/अलेसे-1/ 10947-950 दिनांक:- 23-12-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय.....
3. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।